भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा कि ''मानो आसमां से अंगारे बरस रहे''

देश में मानसून की एंट्री 28 मई से 3 जून के बीच, राजस्थान में 28 जून तक आने की संभावना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है, सूयदेव का कोप ऐसा है कि जैसे आमसां से अंगारे बरस रहे हो। गुरुवार को भी प्रदेश में अधिकांश जगह तापमान 45 से 49 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। कहर बरपाती गर्मी ने अब रात-दिन का चैन छीन लिया है। पारा 45 डिग्री पार जाने से सड़कों पर डामर भी पिघलने लगा है। हालत ऐसे है कि कूलर पंखे तो दूर, एसी भी जवाब देने लगे है। शनिवार से ''नौतपा'' शुरू होने के कारण गर्मी का सितम और बढ़ने की संभावना है। हालांकि, ऐसे में हर कोई यही सोच रहा कि मानसून कब आएगा और कब आग बरसाती गर्मी से राहत मिलेगी? गुरूवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 49 डिग्री फलौदी में दर्ज हुआ है। इसके बाद जैसलमेर में 48.3 और बाडमेर में 48.2, जालौर में 47.7, जोधपुर में 47.6, डूंगरपुर में 47.1, चितौड़गढ़ में 46, कोटा में 46.7, श्रीगंगानगर में 46.6, बीकानेर में 45.8, भीलवाड़ा में 45.5, सिरोही व फतेहपुर में 45.2, चूरू में 44.8, जयपुर में 42.8, बारां-अंता में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की मानें तो मानसून, अंडमान निकोबार में एंट्री कर चुका है। देश में 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी दस्तक दे सकता है और जून के अंत तक राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर राजस्थान में 30 जून तक मानसून आता है। लेकिन, इस बार माना जा रहा है कि तय समय से एक दिन पहले मानसून की राजस्थान में एंट्री हो जाएगी।

जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीव गणना के दौरान फीमेल लेपर्ड ''चंदा'' लगभग 1 घंटे तक वाटर पॉइंट के करीब बैठी रही। जिसे देख वहां मौजूद वनकर्मी और वॉलिंटियर्स भी उत्साहित नजर आए। लेपर्ड ने गर्मी से राहत पाने के लिए काफी देर तक पानी में अठखेलियां की।

मौसम विभाग की मानें तो केरल के रास्ते 1 जून को मानसून देश में प्रवेश करेगा। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरते हुए मानसून 29 जून को राजस्थान में प्रवेश करेगा। बता दें कि हिन्द महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर जून से सितंबर तक आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं।

■ मौसम विभाग ने इस बार ''ला नीना'' के प्रभाव से अच्छी बारिश की संभावना जताई

मौसम विभाग के अनुसार इस बार ''ला नीना'' के सक्रिय होने से मानसून जल्दी आ रहा है। खास बात ये है कि इस साल देशभर में औसत से ज्यादा बारिश होगी। क्योंकि इस बार ला नीना का मानसून पर साफ प्रभाव दिखेगा। इसके कारण राजस्थान सहित सभी राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है।

बता दें कि पिछले साल मानसून 19 मई को अंडमान-निकोबार पहुंचा था। लेकिन, इस बार ला नीना के कारण मानसून जल्दी दस्तक देगा। बताया जा रहा है कि ''ला नीना'' अल नीनो का विपरित प्रभाव है। ला नीना के प्रभाव को भारत के लिए अच्छा माना जाता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होता है तो इस स्थिति को ''ला नीना'' कहा जाता है। इससे समुद्री सतह का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। इसका प्रभाव दुनिया के तापमान पर पड़ता है। ला नीना 9 महीने से लेकर साल भर की अवधि तक रह सकता है।

हरियाणा भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने हरियाणा से ग्वालियर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की व ईश्वर से परिवारजनों को सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की और परिवारजनों को ढाँढस बंधाया।

पहलगाम आतंकी हमले में घायल दम्पती को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता

■ युवक के इलाज के लिए चेन्नई में उपलब्ध कराई जाएंगी समस्त चिकित्सा सुविधाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में गम्भीर रूप से घायल हुए जयपुर निवासी दम्पती को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अनुसार सन्नी खान एवं उनकी पत्नी फराह खान को एक-एक लाख रूपए की अंतरिम आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घायल दम्पती के लिए हर संभव मदद और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। घायल युवक के आंख के उपचार के लिए चेन्नई स्थित शंकर नेत्रालय में व्यवस्था की गई है और उनके बेहतर इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आतंकवादियों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं और शोपियां एवं पहलगाम में हुए हमले आतंकवादियों की बौखलाहट का परिणाम हैं। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि घटना के दोषियों को पुलिस और सुरक्षाबल शीघ्र ही कड़ा सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने आतंकवादी हमले में घायल सन्नी खान से दूरभाष पर वार्ता कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। शर्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

स्वतंत्रता सैनानी सुभद्र कुमार पाटनी 'लाट साहब' का निधन

जयपुर। स्वतंत्रता सैनानी और गांधीवादी सुभद्र कुमार पाटनी 'लाट साहब' का शुक्रवार को निधन हो गया। वे करीब 103 वर्ष के थे। जयपुर स्थित लालकोठी मोक्षधाम पर गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी तीये की बैठक 26 मई को नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारकजी की नसियां में सुबह 8 बजे होगी। स्व. सुभद्र कुमार पाटनी पांच भाई-बहन और बेटे-पौत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। जयपुर के सी-स्कीम स्थित महावीर स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 'लाट साहब' ने वर्ष 1936 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। वे जमनालाल बजाज के साथ वर्धा में भी रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसलपुर बांध की डीसिल्टिंग व ड्रेजिंग रोकने वाले आदेश पर रोक लगाई

कोर्ट के इस आदेश से जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों को भी राहत मिली है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ सकेगी

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट लिमिटेड को राहत देते हुए एनजीटी के जनवरी 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बीसलपुर बांध की भराई क्षमता बढाने व सफाई के लिए की जा रही डीसिल्टिंग व ड्रेजिंग को माइनिंग मानते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इस प्रोजेक्ट का काम कर रहे एनजी गाधिया की अपील पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों को भी राहत मिली है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ सकेगी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार व ईस्टर्न कैनाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने पक्ष रखा।

एएजी शर्मा ने बताया कि बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने व इसकी सफाई कार्य के लिए डीसिल्टिंग व ड्रेजिंग का काम याचिकाकर्ता फर्म को वर्ष 2023 में दिया था। इस दौरान दिनेश बोथरा ने एनजीटी में याचिका दायर कर कहा कि बीसलपुर बांध से इस प्रक्रिया में माइनिंग हो रही है और इसके लिए पर्यावरण की मंजूरी जरूरी है। इसलिए इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2024 में डीसिल्टिंग व ड्रेजिंग पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ बोलीदाता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि जांच कमेटी ने इसे माइनिंग एक्टिविटी नहीं माना है। वहीं अभी मानसून आने वाला है और बांध से एक लाख मीट्रिक टन माल निकाला जाना है। यदि एनजीटी की रोक नहीं हटी तो बांध में आने वाला पानी व्यर्थ बहेगा और इससे समीप के क्षेत्र को भी खतरा है। इसलिए एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है।

डॉ. अरूण चतुर्वेदी का जन्मदिन आज

जयपुर। भाजपा नेता डॉ. अरुण चतुर्वेदी का जन्मदिन शनिवार को एस बी गार्डन सिविल लाईन में मनाया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉ. चतुर्वेदी के जन्मदिन को उत्साह पूर्वक मनाने के लिए आज प्रात: 12 बजे बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय में भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमे एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने भाजपा नेता डॉ. चतुर्वेदी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। आज जन्मदिन की पूर्व संध्या पर डॉ चतुर्वेदी ने अपने जन्मदिन को जयपुर शहर में जगह-जगह पर गायों को चारा खिलाया।

खोया पाया

मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाली स्टाम्प हस्ताक्षर सहित, सभी मूल दस्तावेज कहीं खो गये। मिलने पर सूचित करें। शंकर लाल गुर्जर रामूलाल गुर्जर। 9928509025

नाम परिवर्तन

मैं अमित गोपाल निगम बयान करता हूं कि मेरी पुत्री जाह्नवी निगम की जन्म दिनांक 20.03.2006 स्कूल के दस्तावेजों में गलत दर्ज है, उसकी सही जन्मतिथि आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 20.03.2007 है, वाया शपथ पत्र दिनांक 24 मई 2024 जरिए नोटरी पब्लिक जयपुर

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com Ph. No. 0141-2329953
क्रमांकः-F51() Dept.Comm./H.M.A.Z./2024/263 दिनांकः- 23.05.24
आपत्ति सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री माल सिंह पता मकान नं. 182, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर का नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या 182, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर का पट्टा नगर निगम जयपुर द्वारा क्रमांक 2286 दिनांक 27.12.2007 को श्रीमती गुलाब पत्नि श्री माल सिंह को कच्ची बस्ती के अन्तर्गत जारी किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ संस्था/, गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

आम सूचना मेरे अभिभाष्य मुतावल्लीयान जगर हाऊस अजमेरी गेट जयपुर की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैकि एक दुकान पूर्वमुखी दो दरवाजे वाली जगर हाऊस टोंक रोड, जयपुर में मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद सईद किरायेदार थे, जिनका दिनांक 13.05.2024 को देहान्त हो गया है, जिनके जिम्मे दिनांक 01.01.2019 से 4,500/- रूपये प्रतिमाह को दर से आज तक का किराया बाया है। मृतक की पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। मृतक की कोई संतान नही है। ऐसी स्थिति में मेरे अभिभाष्य को स्वंय की दुकान को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो दिनांक 05.06.2024 से पहले मुझे लिखित में सूचित कर सम्पर्क कर लेवे।
जयपुर (अमानुल्लाह खान) एडवोकेट
दिनांक मो.-9829055308

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक-एच()/न.नि.ज. ग्रेटर/मा.न.जोन/2024/ दिनांकः
सार्वजनिक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मूल भूखण्ड सं. 44, जवाहर नगर जयपुर जवाहर हाउस बिल्डिंग कॉ. लि. का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी रमेश चन्द बिजय को खेतपत 266.66 वर्गगज भूमि का पट्टा सिलेक्ट जारी किया गया था, मूल आवंटी श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी रमेश चन्द बिजय की दिनांक 02.07.2011 को मृत्यु हो चुकी है। श्रीमति स्वर्गिल विजयवर्गीय पत्नी मनोज विजयवर्गीय के हक मे रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20. 05.2006 सम्पादित किया गया है। श्रीमति स्वर्गिल विजयवर्गीय पत्नी मनोज विजयवर्गीय द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु भूखण्ड सं. 44, जवाहर नगर जयपुर जवाहर हाउस बिल्डिंग कॉ. लि. जयपुर का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा, मूल आवंटी एवं वसीयत के गवाह की रमेश चन्द बिजय का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा, वसीयत के गवाह के शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड सं. 44, जवाहर नगर जयपुर जवाहर हाउस बिल्डिंग कॉ. लि. का जयपुर का नाम हस्तान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमति स्वर्गिल विजयवर्गीय पत्नी मनोज विजयवर्गीय के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे उपोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) मे प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर

बराला हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
(राधास्वामी बाग NH 52 जयपुर रोड चौमूं जयपुर)
विशेष सूचना
राज्य सरकार के नियमानुसार मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट करने की सतत प्रक्रिया के अनुसार **31 मार्च 2019** से पूर्व के सभी मरीजो का मेडिकल रिकॉर्ड सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस बाद नष्ट करवाया जायेगा। सम्बंधित व्यक्ति को उक्त रिकॉर्ड की प्रतिलिपि लेना चाहते है तो सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस में प्रतिलिपि ले सकते है। उसके पश्चात उपरोक्त रिकॉर्ड्स सतत प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया जाएगा तथा इसके बाद संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
निदेशक
बराला हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1688 दिनांक-24/05/24
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 101/08(MIG-B), का आवंटन श्री नरेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र श्री गणेशी लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2770 दिनांक 23.03.2005 को जारी किया गया था। श्री नरेन्द्र नाथ भार्गव की मृतयु दिनांक 07.12.2013 को हो जाने के कारण उनकी पुत्रवधु श्रीमती श्रेया भार्गव पत्नी स्व.श्री अभिषेक भार्गव आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अत: उक आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में आपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती श्रेया भार्गव पत्नी स्व. श्री अभिषेक भार्गव का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम
राज. आवा. मण्डल. जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
संख्या-51245650, दिनांक 22.05.2024
वरि. मंसाप्र-जयपुर, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से ई-निविदा संख्या- 51245650 जिसकी बंद होने की तारीख 14.06.2024 को 14.25 बजे तक रहेगी, आमंत्रित कर रहे है। निविदाकार निविदा बंद होने की तारीख एवं समय तक ही अपनी मूल/संशोधित निविदा प्रस्तुत कर पाएंगे। मैनुअल (ई-निविदा के अलावा) प्रस्ताव इस निविदा के विरुद्ध मान्य नहीं होंगे। इस तरह के मैनुअल प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। **(1) आपूर्ति का विवरण:** Supply of Trans receiver VHF hand held walkie-talkies sets 5 watt Synthesized with 1 Minimum 2300 MAH Ni-MH Battery Pack 2 Configuration VH-3 Band 136-174 MHz. **(2) मात्रा:** 252 नं. **(3) निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय:** ई-निविदा को 14.06.2024 को 14.25 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। **वेबसाइट विवरण:** www.ireps.gov.in
600-DK/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की स्कीम राधा स्वामी नगर, मानसरोवर, जयपुर में भूखण्ड संख्या 58, पश्चिम मुखी स्थित है। इसमे एक कमरा बना है। प्लॉट नम्बर 58 एवं 59 की संयुक्त चारो दीवारे एवं एक कमरा श्री उमेश जैन ने स्वयम् के धन से बनवाया है। यह भूखण्ड श्री उमेश जैन पुत्र श्री द्वारका दास जैन ने स्वयं के उपार्जित आय से अपने नाबालिग पुत्र श्री अंकित जैन के नाम उक्त समिति से आवंटन पत्र दिनांक 14.03.1995 के द्वारा खरीदा है। श्री अंकित जैन की जन्म तिथि दिनांक 24.06.1983 है। दिनांक 14.03.1995 को उसकी उम्र ग्यारह साल की थी। भूखण्ड संख्या 58 एक मात्र मालिक एवं स्वामी एवं काबिज श्री उमेश जैन पुत्र श्री द्वारका दास जैन है। भूखण्ड के समस्त मूल दस्तावेजात भी श्री उमेश जैन के ही कब्जे मे है, कोई भी व्यक्ति या संस्था उक्त भूखण्ड श्री अंकित जैन से नही खरीदे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक 25-5-2024 मो.-8824515124

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर-DEV/JAIPUR-II/TRUST/2024/6
चूंकि प्रार्थी श्री ओंकार प्रसाद शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना राजाजी के पास, थाना राजाजी, विवेकानन्द एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 301408 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास विवेकानन्द शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, विवेकानंद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान थाना राजाजी, राजगढ़ (अलवर) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22/07/2024
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 143/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा निवासी प्लॉट नं.55, श्री नारायण नगर, दादी का फाटक, बेनाड़ रोड जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत ऊँ शिव हनुमान मन्दिर प्रयास पता श्री नारायण नगर, दादी का फाटक, बेनाड रोड जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.4.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.7.24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय **श्रीमान मूलचंद जी हल्दीनिया** का स्वर्गवास 23 मई 2024 को हो गया है। तीये की बैठक 25 मई 2024 कों दोपहर 3 बजे सें 5 बजे तक श्री चतुर्भुज जी मंदिर के पास हल्दीनियों का मोहल्ला कानोता पर रखी गई है।
शोकाकुल- गंगासहाय जी, रामदयाल जी, नन्दलाल जी, कानाराम जी (भाई), शंकर, विमल, प्रहलाद, राधेश्याम, गोपाल, महेश (पुत्र) विष्णु, सूरज, हरिओम, राहुल, आरव, कृष्ण, अमन, दिशांत एवं समस्त हल्दीनिया परिवार।
9414459900, 9413043157

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय **विजय शर्मा** पुत्र रामअवतार शर्मा का आकस्मिक निधन 23 मई 2024 को हो गया है। तीये की बैठक 25 मई 2024 कों दोपहर 3 बजे सें 4 बजे तक कुथाड़ा खुर्द डूंगरवालों की ढाणी, एआरजी पुरम के पीछे रखी गई है।
शोकाकुल- जगदीश, रामस्वरूप (दादाजी) सीताराम, रामप्रसाद, दिनदयाल, कृष्ण, उमाशंकर, मुकेश, गणेश (चाचा) महेश, राजाराम, विकास, विष्णु, पुरषोत्तम, शिवम, दक्ष, अभय, हर्षित, दिव्यांश (भ्राता) आदित्य, केशव, कार्तिक, भरत, राम, लक्ष्मण (पुत्र/भतीजे) एवं समस्त ओजट परिवार।
9829630167, 9929041387, 9799414091

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ अपील

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 ने अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनाव के परिणाम जारी करने पर 21 मई को सिविल न्यायालय की ओर से लगाई अंतरिम रोक को लेकर मामले के पक्षकार आनंद गुप्ता व अन्य को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश अग्रवाल समाज सेवा समिति व उसके निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश अग्रवाल भाडेवाला की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपीलार्थियों के अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि सिविल न्यायालय का अंतरिम रोक का आदेश कानूनी तौर पर गलत है। दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। मामले में उनकी ओर से जवाब दे दिया है, लेकिन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर चले गए हैं। इसलिए चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक हटाकर इस आदेश को रद्द किया जाए। प्रार्थी आनंद गुप्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सिविल न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों और चुनाव के दौरान अनियमितता व फर्जीवाड़ा होने पर ही मतगणना व चुनाव परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी।

दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं देने पर बी.सी.सी.आई. से मांगा जवाब

■ हाईकोर्ट ने बी.सी.सी.आई. को जवाब देने के लिये तीन सप्ताह का समय दिया है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाडी को नियमित क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं देने व निशक्त अधिनियम 2016 की धारा 30 की पालना नहीं करने पर बीसीसीआई को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश रतेन्द्र सिंह जयरा की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि याचिकाकर्ता 60 फीसदी अंध दृष्टि बाधित है और वह राष्ट्रीय व राज्य स्तर की कई दृष्टिहीन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट खेलता आया है। उसने दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रार्थना पत्र दायर कर उसे भी समानता का अधिकार देते हुए क्रिकेट की मुख्यधारा में शामिल करने का आग्रह किया। वहीं इस संबंध में बीसीसीआई को निर्देश देने के लिए कहा। जिस पर आयोग ने 14 दिसंबर 2019 को आदेश जारी कर बीसीसीआई को प्रार्थी के मामले में विचार करने के लिए कहा। उसने खेल मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया, लेकिन उसने प्रतिवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए। मौजूदा समय में आईपीएल सहित कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं और इनमें याचिकाकर्ता को भी शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीसीआई को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है।

जल सेवा सबसे बड़ा परमार्थ है : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को विद्याधर नगर के झोटवाड़ा में वार्ड नं. 40 के गणेश मंदिर पार्क में भीषण गर्मी से त्रस्त पक्षियों और छोटे जीवजंतुओं के लिए परिंडे बांधे। उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि क्लाइमेट चैंज के कारण हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी है कि निरीह पक्षियों और जानवरों के लिए भी पीने के पाने की व्यवस्था हो। दिया कुमारी ने अपील की कि क्षेत्रवासी इन परिंडों के माध्यम से रोज पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाये और पुण्य प्राप्त करे। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी और मौजूद अधिकारियों को तुंरत समाधान करने के निर्देश भी दिये।